

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मथुरा
प्रकीर्ण वाद संख्या-253/2010
मूलवाद संख्या- 332 सन् 1999
गिराज सेवक समिति बनाम दिलीप कुमार

28.10.2020

मन्दिर श्री गिराज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 3251ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विगत काफी समय से काविड-19 महामारी के चलते श्री गिराज महाराज दानघाटी मन्दिर एवं श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर दोनों के पट बन्द हैं, जबकि मन्दिर मुखारबिन्दु एवं जतीपुरा मुखारबिन्दु के पट पिछले माह से खुल गये हैं। मन्दिर दानघाटी के भेंट ठेकेदारों एवं अन्य सेवायतों द्वारा मौखिक रूप से माह नवम्बर 2020 का भेंट ठेका उठाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया जा रहा है। मन्दिर की प्रशासनिक समिति द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.09.2020 का अनुपालन कर लिया गया है। अतः उक्त दोनों मन्दिरों के पट खोलने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिनांकित 28.09.2020 द्वारा मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी, गोवर्धन मथुरा एवं उसकी शाखा मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज, गोवर्धन, मथुरा का माह अक्टूबर 2020 का भेंट ठेका उठाये जाने के सम्बन्ध में निवेदायें आमन्त्रित की गयी थीं। नियत दिनांक 30.09.2020 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि मन्दिर में सैनेटाईजेशन आदि की व्यवस्था नहीं है। न्यायालय में उपस्थित मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक एवं सुपरवाईजर श्री हीरालाल द्वारा पूछने पर सैनेटाईजेशन आदि की व्यवस्था हेतु समय की याचना की गयी। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2020 को उपरोक्त मन्दिरों के भेंट ठेकों की कार्यवाही उपरोक्त दोनों मन्दिर की सैनेटाईजेशन की पर्याप्त व्यवस्था होने तक अस्थायी रूप से स्थगित की गयी। मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी, गोवर्धन मथुरा के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2020 का पूर्ण अनुपालन करने का कथन करते हुए उपरोक्त दोनों मन्दिरों के भेंट ठेका उठाने का निवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी, गोवर्धन मथुरा एवं उसकी शाखा मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज, गोवर्धन, मथुरा विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण विगत काफी समय से बन्द चल रहे हैं। मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी गोवर्धन की प्रशासनिक समिति द्वारा मन्दिर में पर्याप्त सैनेटाईजेशन आदि की व्यवस्था होने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में मन्दिर श्री गिराज जी महाराज दानघाटी, गोवर्धन मथुरा एवं उसकी शाखा मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज, गोवर्धन, मथुरा का माह नवम्बर 2020 का भेंट ठेका उठाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य परिपत्र एवं विशेष परिपत्र एवं धारा 151 सी०पी०सी० के अनुसरण में आगामी माह नवम्बर 2020 में भगवान श्री गिराज जी महाराज के दर्शन एवं परिक्रमा हेतु आने वाले भारत एवं विश्व के अन्य देशों के लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा कारित न हो इस कारण निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है -

आदेश

भगवान श्री गिराज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 30.10.2020 को समय 11.00 बजे दिन शुक्रवार एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 30.10.2020 को समय 01.00 बजे दिन शुक्रवार इस न्यायालय में कराया जाना है। इच्छुक ठेकेदार समय पर पहुंच कर नीलामी की बोली में भाग लें। समय के उपरांत आने पर बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त दोनों ठेकों की भेंट की अवधि दिनांक 31.10.2020 की मध्य रात्रि से दिनांक 30.11.2020 की मध्य रात्रि तक रहेगी। उक्त दोनों ही मन्दिरों के भेंट ठेके की प्रमुख नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं -

1- भगवान श्री गिराज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका माह

30.10.2020 को 11.00 बजे से एवं भगवान श्री लक्ष्मीनारायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट ठेका की कार्यवाही दिनांक 30.10.2020 को 03.00 बजे से निष्पादित की जायेगी। नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मथुरा समुचित व्यवस्था करने का प्रबन्ध करे। जिनको सूचना प्रेषित की गयी उनका विवरण निम्नांकित है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक 28.10.2020

Arms
28 Oct. 2020
प्रभारी सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
मथुरा

प्रतिलिपि -

- 1- न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 2- सूचना अधिकारी मथुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 3- नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा।
- 4- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मथुरा।
- 5- नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, मथुरा।
- 6- नोटिस बोर्ड तहसील गोवर्धन, मथुरा।
- 7- नोटिस बोर्ड होलीगेट, मथुरा।
- 8- नोटिस बोर्ड नगर निगम, मथुरा।
- 9- नोटिस बोर्ड जिला न्यायाधीश कार्यालय मथुरा।
- 10- नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।
- 11- नोटिस बोर्ड मन्दिर दानघाटी, मथुरा।
- 12- नजारत अनुभाग जिला न्यायालय, मथुरा।